संख्या- 64 /2023/ 513 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 20 फरवरी, 2023

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में दिनांक 15-19 दिसम्बर, 2022 के मध्य कराये गये कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0- 3925 /सं0नि0-15(64)/2022-23 दिनांक 13 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर दिनांक 15-19 दिसम्बर, 2022 के मध्य कराये गये कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय रू0 85,80,421.00 (रूपये पिचासी लाख अस्सी हजार चार सौ इक्कीस मात्र) के सापेक्ष रू0 रू0 80,21,611/- (रूपये अस्सी लाख इक्कीस हजार छः सौ ग्यारह मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) जिला विकास अधिकारी, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण रू0 14,05,000.00 (रू0 चौदह लाख पांच हजार मात्र) में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी हेतु रू0 4,09,460.00 (रू0 चार लाख नौ हजार चार सौ साठ मात्र) एवं आमंत्रण कार्ड एवं प्रचार-प्रसार हेतु रू0 19,350.00 (रू0 उन्नीस हजार तीन सौ पचास मात्र) की धनराशि को घटाते हुए रू0 9,76,190.00 (रू0 नौ लाख छिहत्तर हजार एक सौ नब्बे मात्र) दिया जायेगा।

(2) जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण रू0 13,05,000.00 (रू0 तेरह लाख पांच हजार मात्र) में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी हेतु रू0 30,000.00 (रू0 तीस हजार मात्र) एवं आमंत्रण कार्ड एवं प्रचार-प्रसार हेतु रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) कुल धनराशि रू0 1,30,000.00 को घटाते हुए रू0 11,75,000.00 (रू0 ग्यारह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) दिया जायेगा।

(3) जिलाधिकारी, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रस्तावित धनराशि तथा जनपद लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों में कलाकारों का मानदेय एवं अन्य व्यय की धनराशि यथावत रहेंगी।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला तथा संस्कृति- 800- अन्य व्यय- 19- चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव - 42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 64 /2023/ 513 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/ प्रयागराज/ गोरखपुर/ गोण्डा ।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।